


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

रामस्वरूप (फौत) हरिशंकर बनाम दिनेश प्रसाद. वगैरा
 किस्म मुकदमा : स्थानान्तरण प्रा० पत्र
 मु० नं० 56/2018

29.06.2018

अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री चन्द्रमोहन जोशी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 30.7.2018 को पेश हो।


 अति० जिला कलक्टर
 दौसा

तद्वरीर
 9979
 29-6-18
 NOTICE
 9980-90
 29-6-18

30-7-18

अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अज्ञानी। लजा 9 में ओरन अधोक जोशी द्वारा U.T. दी गई। अधिवक्ता अज्ञानी। लजा 9 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय श्री अधोक व्याजी का स्थानान्तरण हो-पुसुई इसलिये प्रणत स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई कोचिल्य नहीं है। अतः प्रणतपत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

U.T. लिख
 अधिवक्ता अज्ञानी 1/7/19
 अ/ 30/7/19
 अधोक जोशी 25/7/19

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता अज्ञानी से। लजा 9 द्वारा उपखण्ड उक्त तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रणतपत्र स्थानान्तरण को खारिज किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होने व्यक्त किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अधिवक्ता अज्ञानी उपपक्षकारण द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानान्तरण हो-पुसुई एवं प्रणतपत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई कोचिल्य नहीं है।


... क्रमशः

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंहराय में विचाराधीन पत्रावली रामस्वरूप बनाम दिनेश वर्गैरा मु. नं० ५२/२०१६ अंशित धारा २५। रा० मा० आदेश को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रावधान डाय प्रस्तुत प्राथमिक पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निवेद्य श्री प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंहराय को भिजवायी जावे। प्राथमिक पत्र स्थानान्तरण फ़ैसल शुमार दोसर नम्बर से कम हो। निवेद्य आज दिनांक ३०-७-२०१८ को मुले न्यायालय में सुनाया गया।




 अति० जिला कलक्टर